

कार्यालय - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवहर।
काउन्सलिंग सूचना

वेबसाइट- www.dietsheohar.com


इमेल- dietsheohar@gmail.com

डी.एल.एड. प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में प्रथम सूची से नामांकन के उपरांत रिक्त सीट पर नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन कर संस्थान के वेबसाइट पर द्वितीय चयन/मेधा सूची प्रकाशित की गई है। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का प्रोटोकॉल है, नामांकन की अनिवार्यता का नहीं। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 08/02/2021 से 12/02/2021 तक कार्यालय के कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिन्ट आवेदन पत्र के प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत शुल्क जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा कराना होगा जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण-पत्रों एवं शर्तों के साथ उपस्थित होंगे-

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
4. आवासीय, जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विशेष दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति। (यदि लागू हो)
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
8. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) एवं अनुसूचित जाति जन जाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/- (सात हजार रुपये) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा।
9. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वाअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे।
10. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशी किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
12. स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा)
13. शपथ-पत्र (कार्यपालक दंडाधिकारी/नॉटरी पब्लिक) जिसमें इस आशय का अंकन होगा कि नामांकन के क्रम में उपस्थापित सभी प्रमाण-पत्र सही हैं। फर्जी होने पर नामांकन रद्द कर दिया जायेगा तथा कानूनी कार्रवाई हेतु जिम्मेवार स्वयं होंगे। किसी संस्थान में नामांकित तथा अध्ययनरत नहीं है।
14. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबधिक रूप से किया जायेगा।

नोट:-महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।


Principal
DIET, Sheohar
07/2/21